JALAUN POLICE

दिनांक – 21.03.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कान्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 01 अभियोग में मान0 न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्तगण को अधिक से अधिक सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्त का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण प्रथम– अभियुक्त अनिल उर्फ विक्की पुत्र प्रेमनारायण नि0ग्राम बासी थाना जखौरा जनपद ललितपुर द्वारा समाज विरोधी क्रिया कलाप में संलिप्त होना तथा गैंग बनाकर अवैध असलाहों से लैस होकर आमजनमानस को डरा धमका कर वाहन चोरी की घटनाये कारित कर आर्थिक लाभ प्राप्त करने के सम्बन्ध में थाना-एट में मु0अ0सं0 722/2007 (वाद संख्या- 126/2008) धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 21.03.2025 को मा0 न्यायालय जीएसटी कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त अनिल उर्फ विक्की को दोषी पाते हुये 03 वर्ष का कारावास एवं 2,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।